

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. मुकेश राम पुत्र माडू जाति जोगी निवासी कांथली, पोस्ट दलपतपुरा तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

— प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम


मुकदमा नम्बर 351 / 2025  
जीसीएमएस नं0 2025/620

आदेश

दिनांक 04/07/25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम कांथली पटवार हल्का मोठूका तहसील पाटन के खाता संख्या 68, 88, 89, 110 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "मुकेश राम पुत्र माडू" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "गणेश पुत्र माडूनाथ" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमका

